

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 26/2026

सुनील कुमार कसौधन

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दीप्ति गुप्ता

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीप्ति गुप्ता और सभी विरोधी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल शुक्ला को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षकारण को ग्राम- विशुनपुर, बेलभरिया, तहसील एवं जिला- गोंडा स्थित सरकारी भूमि, गाटा संख्या 731 – क्षेत्रफल 0.0730 हेक्टेयर है, जो एक सार्वजनिक मार्ग है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने की मांग की है।
3. लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 03.09.2025 को पारित किया गया था। पांच व्यक्तियों ने अपील संख्या डी-2025830002502, डी-202808300002503, डी-202508300002504, डी-202508300002506 और डी-202508300002507 उन आदेशों के विरुद्ध दायर की है जो कलेक्टर, गोंडा के समक्ष लंबित हैं और इन अपीलों की सुनवाई दिनांक 21.01.2026 को निश्चित की गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. तदनुसार, गोंडा कलेक्टर को उपरोक्त अपीलों (अपील संख्या D-2025830002502, D-202808300002503, D-202508300002504, D-202508300002506 और D-202508300002507) पर किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न देते हुए और अल्प अंतराल पर तारीखें निर्धारित करते हुए, विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने का निर्देश जारी करते हुए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)